

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्विक प्रवेश]-2023
Bihar Combined Entrance Competitive Examination [Lateral Entry] – 2023**

B. C. E. C. E. [LE] – 2023

**त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं
द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के स्नातक
अभियंत्रण, स्नातक पारा मेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी डिग्री
पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु विवरण-पुस्तिका**

शैक्षणिक सत्र : 2023–2024

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
(बिहार सरकार)**

BCECE [LE]-2023 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम सं.</u>	<u>विषय वस्तु</u>	<u>कांडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	अनुलग्नकों की सूची	-	1-2
1.	सामान्य परिचय	1	3
2.	आरक्षण	2	3
3.	संस्थान एवं शाखा परिवर्तन	3	4
4.	विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें	4	5
5.	परीक्षा के विषय एवं अवधि	5	5
6.	परीक्षा के पाठ्यक्रम	6	5
7.	आवेदन-पत्र / विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा शुल्क	7	5
8.	Online आवेदन पत्र की प्रविष्टियों से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	8	7
9.	शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हतायें तथा सूचनाएँ	9	9
10.	संस्थान, पाठ्यक्रम एवं सीटें	10	10
11.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) के सम्बन्ध में निर्देश	11	10
12.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) के उपरान्त	12	11
13.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	13	11
14.	परिशिष्ट-1 (सारणी-1, सारणी-2, सारणी-3 एवं सारणी-4) :	-	13-19
	उपलब्ध सीटों का व्योरा		
	परिशिष्ट-2	: अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप, पारा मेडिकल ग्रुप एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम ग्रुपों का मार्ग दर्शक सिलेबश।	- 20-32
	परिशिष्ट-3	: अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप एवं पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप का दिव्यांगतासे सम्बन्धित मार्गदर्शिका।	- 33-41
	परिशिष्ट-4	: (दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों/ केन्द्रों की सूची।)	- 42
	परिशिष्ट-5	: (Certificate of Disability से सम्बन्धित मॉडल प्रपत्र)।	- 43

LIST OF ENCLOSURES (CHECK-LIST)
अनुलग्नकों की सूची (जाँच-सूची)

Sn. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नकों का विवरण	Person/ organisation from where obtainable व्यक्ति / संगठन जहाँ से प्राप्त
1.	(A) (i) Mark Sheets of Part I, II & III of Three Year Engg. Diploma Examinations तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षाओं – पार्ट-I, II एवं III के अंक पत्र (ii) Admit Card of Part-III Engg. Diploma Exam. पार्ट-III इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षा का प्रवेश पत्र। (iii) In case of candidates appearing in Part-III Engg. Diploma Examination / final Para Medical Diploma Examination, a certificate be furnished mentioning the branch and that the result is awaited त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पार्ट-III की परीक्षा / द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी को शाखा अंकित करते हुए परीक्षाफल घोषित नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। (B) (i) Mark Sheets of Part I & II of Para Medical Diploma Examination. पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा यथा – पार्ट-I एवं II के अंक पत्र। (ii) Admit Card of final Para medical Diploma Examination. पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा के अंतिम परीक्षा का प्रवेश पत्र। (C) (i) Mark Sheets of Part I & II of Pharmacy Diploma Examination. फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा यथा – पार्ट-I एवं II के अंक पत्र। (ii) Admit Card of final Pharmacy Diploma Examination. फार्मेसी डिप्लोमा परीक्षा के अंतिम परीक्षा का प्रवेश पत्र।	Relevant State Board of Technical Education सम्बद्ध राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् Relevant State Board of Technical Education सम्बद्ध राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य Board / Equivalent organisation बोर्ड / समकक्ष संगठन
2.	Matric/ equivalent certificate and Admit Card as proof of age and Identity मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो	Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent residence.
3.	*Caste certificate *जाति प्रमाण-पत्र	स्थायी निवास के अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।
4.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिस्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / C.O. / Revenue Officer of permanent resident in prescribed proforma. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ./ राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्गत।
5.	Character certificate चरित्र प्रमाण-पत्र	Head of the Institution last attended जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों, उसके प्राधानाचार्य/ प्राचार्य।
6.	*Income certificate (If needed, to be submitted at the time of counselling) *आय प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है)	Concerned C.O. / Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।
7.	Photograph फोटोग्राफ	Photograph (As per 8.1 of the Prospectus) फोटोग्राफ (विवरण पुस्तिका की कॉडिका-8.1 के अनुसार)।

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

Sn. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नकों का विवरण	Person/ organisation from where obtainable व्यक्ति / संगठन जहाँ से प्राप्त
8.	<p>*(i) Certificate for native of Bihar बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र</p> <p>*(ii) Refugee Registration Certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण-पत्र</p> <p>*(iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी (Employee) हैं</p> <p>*(iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of Govt. of India in Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के बिहार में अवस्थित किसी उपक्रम के कर्मी हैं</p> <p>*(v) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाइटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन के कर्मी हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं</p> <p>*(vi) Such candidates who have not passed qualifying Examination from Bihar but claim eligibility on the ground of permanent residence in Bihar in respect of their parents, must also furnish a certificate from the Institution where he/ she is studying for the qualifying examination indicating the permanent address as recorded in the Admission Register of that Institution ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हों किन्तु जिनके माता / पिता बिहार में स्थायी निवास के कारण अपनी पात्रता का दावा करते हों, अर्हक परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हुए हों उसके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी दें</p> <p>*(vii) Certificate for Disabled Quota (DQ) दिव्यांग कोटा (DQ) प्रमाण-पत्र</p>	<p>Concerned C.O./ Revenue Officer of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी/ राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।</p> <p>Concerned DM or Refugee Registration Officer सम्बन्धित जिला पदाधिकारी या शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p> <p>As per Para 2.2 of this prospectus इस विवरण पुस्तिका की कोडिका- 2.2 के अनुसार</p>

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2023

त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के स्नातक अभियंत्रण, स्नातक पारा मेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी
डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु विवरण-पुस्तिका

आवेदक इस विवरण-पुस्तिका में दी गई सभी सूचनाओं को भली-भांति पढ़ लें।

1. सामान्य परिचय :

त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम, पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु चयन, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2023 (Bihar Combined Entrance Competitive Examination [Lateral Entry]-2023) के परीक्षाफल से तैयार की गई मेधा सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर होगा जिसका संचालन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा।

- (i) “पाठ्यक्रम” से अभिप्राय है स्नातक स्तर के अभियंत्रण / पारा मेडिकल / फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम।
- (ii) “परीक्षा” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित “बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2023”।
- (iii) “पर्षद” से अभिप्राय है “बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद”।
- (iv) “सरकार” से अभिप्राय है “बिहार सरकार”।
- (v) “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय है “परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद”, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।
- (vi) “बिहार” से अभिप्राय है पुनर्गठित बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है।

2. आरक्षण :

- 2.1 (क) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2023 का संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित ‘बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद’ करेगा जिसके आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये आरक्षण-संबंधी अधिनियम/नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।
- (ख) जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी (Permanent resident) हो उन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखा वार सीटों पर नामांकन हेतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत् हैं :

क्रम सं.	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
--	-----	-----
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %
6.	* आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 % (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	

शेष 40 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होंगी।

नोट - * आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ग) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में उपरोक्त कोडिका 2.1 (ख) में कर्णाकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 11/आ.-विविध-50/2011 सां 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।

(घ) कोडिका 2.1(ग) के संबंध में अगर राज्य सरकार कोई अन्य आदेश इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए **online** आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार जारी करती है तब उसी राज्यादेश के अनुरूप आरक्षण प्रावधान लागू होगा।

नोट : (i) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कोडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान “बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों की एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगी। परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगी।”

(ii) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2021 की कोडिका-8 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथोपेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

(ङ) **online** आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत SC, ST, EBC एवं BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (**Category**) निर्धारित की जायेगी।

(च) (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर अनारक्षित (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

2.2 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों का 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये अगर आरक्षित हैं तो वे निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग कोई अन्य आदेश / निर्देश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए **online** आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक, जारी आदेश / निर्देश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत सीट आवंटन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

2.2.1 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता सम्बन्धी वाल्छित प्रमाण-पत्र कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य है। इस प्रमाण-पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये।

दिव्यांग कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो Permanent loss of limbs या Cerebral palsy से प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें ऑन लाईन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।

2.2.2 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-संह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक, जो भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम -1995 के प्रावधानों के अन्दर आते हैं, वे उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में वाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच हेतु डाक्टरों की एक समिति द्वारा योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा।

ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-4 पर अंकित निर्धारित चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा दिव्यांगता जाँच उपरांत निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-5) में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र नामांकन के पूर्व Documents Verification के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट: उपरोक्त निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के मेडिकल/ अभियंत्रण/ फार्मसी आदि संस्थानों में नामांकन हेतु ही मान्य होगा, अन्य किसी और प्रयोजन हेतु नहीं।

2.3 सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत अतिरिक्त आरक्षित सीटें :

सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत आरक्षण इस पार्श्वक प्रवेश परीक्षा के लिये नियमानुसार अनुमान्य नहीं है।

3. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं या शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्षद द्वारा निर्णय लिया जायेगा। पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं या शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों / प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्षद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

4. विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों तथा उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 की सारणी-1, सारणी-2 एवं सारणी-3 में दिया गया है। बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / शाखाओं / विषयों में, सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

5. परीक्षा के विषय तथा परीक्षा की अवधि :

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पाश्वर्क प्रवेश)-2023 के लिये अभियंत्रण एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम ग्रुपों के लिए अलग-अलग एक प्रश्न पत्र में परीक्षा देनी होगी। ये प्रश्न पत्र वस्तुपर (Objective) तथा दो घंटे पन्द्रह मिनट की अवधि के होंगे।

5.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप : अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप में कुल तीन विषय खंड होंगे- यथा (i) गणित, (ii) इंजीनियरिंग मेकेनिक्स एवं (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के **50** प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) गणित	50	200		
(ii) इंजीनियरिंग मेकेनिक्स	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(iii) अंग्रेजी	50	200		

5.2 पारा मेडिकल पाठ्यक्रम ग्रुप : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम ग्रुप में कुल तीन विषय खंड होंगे – यथा (i) एनाटॉमी एवं फिजियोलौजी, (ii) पैथोलौजी, माइक्रोबायलौजी एवं बायो केमेस्ट्री और (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के **50** प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) एनाटॉमी , फिजियोलौजी	50	200		
(ii) पैथोलौजी, माइक्रोबायलौजी एवं बायो केमेस्ट्री	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(iii) अंग्रेजी	50	200		

5.3 फार्मेसी पाठ्यक्रम ग्रुप : फार्मेसी पाठ्यक्रम ग्रुप में कुल तीन विषय खंड होंगे – यथा (i) Pharmaceutics-I + अन्य विषय (खंड-I), (ii) Pharmaceutics-II + अन्य विषय (खंड-II), और (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के **50** प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) Pharmaceutics-I, Pharmaceutical Chemistry-I, Pharmacognosy, Human Anatomy and Physiology, Biochemistry and Clinical Pathology, Health Education and Community Pharmacy.	50	200		
(ii) Pharmaceutics-II, Pharmaceutical Chemistry-II, Pharmacology and Toxicology, Pharmaceutical Jurisprudence, Drug Store and Business Management, Hospital and Clinical Pharmacy.	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(iii) अंग्रेजी	50	200		

6. परीक्षा के पाठ्यक्रम :

परीक्षा के लिये विषयानुसार पाठ्यक्रम (मार्गदर्शक) परिशिष्ट-2(i), परिशिष्ट-2(ii) एवं परिशिष्ट-2(iii) में दिये गये हैं। परीक्षा के प्रश्न सामान्यतः अभियंत्रण स्नातक, पारा मेडिकल स्नातक एवं फार्मेसी स्नातक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे। परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जायेंगे और उसके नीचे उनका हिन्दी अनुवाद होगा। पूछे जानेवाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे।

7. आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क : BCECE[LE]-2023 में सम्मिलित होनेवाले अध्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पर्यंत के Website : bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अध्यर्थी पर्यंत के उक्त वेबसाइट पर जा कर "**Online Application Portal of B.C.E.C.E. (LE)-2023**" Link पर Click कर "Apply Online" button पर click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अध्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. Step-One (Registration) :

इस परीक्षा हेतु Registration (निर्बंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि Registration से संबंधित सभी सूचनाएं उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये Mobile No. एवं email ID को सत्यापित करने हेतु उक्त दोनों पर अलग-अलग सत्यापन कोड (Verification Code) भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा Registration करने के क्रम में सत्यापन कोड (Verification Code) डालकर सत्यापित करना होगा। Mobile No. एवं email ID के सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक Registration हो जाने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में Mobile No. एवं email ID का बदलाव नहीं किया जाएगा। सफलतापूर्वक Registration हो जाने के बाद अभ्यर्थी के Registered Mobile No. एवं email ID पर सफलतापूर्वक Registration हो जाने की सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन को पूर्ण रूप से Online भर कर जमा करने हेतु अपने Account में login करेंगे जिसके लिए वे अपना Registered email ID तथा Registration के क्रम में दिये गये Password को डालकर "Sign In" बटन पर click करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा करें। Registration के क्रम में अभ्यर्थी अपने द्वारा दिये गये Password को गोपनीय रखें अन्यथा पर्षद किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।

ii. Step-Two (Personal Information) :

सफलतापूर्वक Registration कर पुनः अपने Account में Login करने के उपरांत कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Submit & Continue बटन पर Click करें।

iii. Step-Three (Upload Photo & Signature) :

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Submit & Continue बटन पर Click करें।

iv. Step-Four (Educational Information) :

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Submit & Continue बटन पर Click करें।

v. Step-Five (Application Preview) :

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें। यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएं सही हैं तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें।

vi. Step-Six (Payment of Examination Fee) :

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रक्रियाओं के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

a. **Online Payment :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Online Option को Select कर क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

b. **उपरोक्त विविधों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है;**
सामान्य / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुचूचित जनजाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 2200/- (दो हजार दो सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

vii. Step-Seven (Download Part-A & Part-B) : पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रक्रियाओं एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉडनेसेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

नोट : (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉडनेसेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।

(b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।

(c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।

(d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

viii. (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो/ हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 19.05.2023 से 20.05.2023 तक दिया जाएगा।

(ii) Online Application Form में सुधार (Edit) के बाद वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो।


(iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सके एवं पुनः Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

- ix. BCECE[LE]-2023 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-
- (i) Online Registration Starting Date : **24.04.2023**
 - (ii) Online Registration Closing Date : **17.05.2023**
 - (iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate .
 - (iv) Online Editing of Application Form : **19.05.2023 to 20.05.2023**
 - (v) Uploading of Online Admit Card : यथासमय सूचित किया जायेगा।
 - (vi) Proposed Date of Examination : यथासमय सूचित किया जायेगा।
- x. अपूर्ण रूप से भरा गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. Online आवेदन पत्र की प्रविष्टियों (Entries) से सम्बन्धित अन्य सूचनायें :

8.1 फोटोग्राफ़ :

आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन / चिपकाये गये फोटो का आकार पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) श्याम-श्वेत / रंगीन, उच्च कंट्रास्ट एवं एक ही निर्गेटिभ / स्नैप (Snap) से बना या एक ही तरह का होना चाहिए। फोटो को सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम, तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो, को ही प्रयोग में लिया जाना आवश्यक है। डिजीटल या अन्य विधि से खिंचावाया गया फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल या विलुप्त हो जाती है उसे चिपकाना पूर्णतया वर्जित है।



फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2023 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

- 8.2 फोटोग्राफ़ में दोनों कान नजर आनी चाहिए। फोटोग्राफ़ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज़न / अन्डर एक्सपोज़न या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी (कैप) एवं काला / रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पैक्ट्रेकल्स) नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
- 8.3 Downloaded आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निरेश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तालिपि में लिखी गयी घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अधिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

8.4 नाम :

आवेदक, आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) के निर्दिष्ट स्थानों पर अपना नाम, माध्यमिक, परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा के रेकर्ड (अधिलेख) में अंकित वर्तनी (spelling) के अनुसार ही लिखें।

8.5 पता :

स्थायी पता वही होना चाहिये जो आवेदक के आवासीय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो।

पत्राचार स्थायी पता में पिन कोड नम्बर का व्यवहार जरूर करें। पत्राचार का पता ऐसी जगह का हो कि आपके पास पत्र जल्द-से-जल्द पहुँच जाए। पत्राचार का पता गलत होने की स्थिति में पत्र के लौट आने पर परीक्षा-पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। बाद में पत्राचार हेतु पता बदलने के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.6 कोटि (Category) :

आक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि निम्नलिखित संकेत (code) के अनुसार भरें :

<u>कोटि (Category)</u>	<u>संकेत (Code)</u>
(i) Unreserved Category (अनारक्षित कोटि) (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	UR
(ii) Scheduled Caste	SC
(iii) Scheduled Tribe	ST

(iv) Extremely Backward Caste	EBC
(v) Backward Caste	BC
(vi) Economical Weaker Section	EWS

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने हेतु, अपने आवेदन-पत्र में जिस आरक्षण कोटि को अंकित किया गया हो उसको सम्पूष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र कॉउन्सेलिंग के समय उपलब्ध कराना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के लिए विचार नहीं किया जायेगा। यह निर्धारित संलग्न मॉडल-प्रपत्र के अनुसार ही होना चाहिए।

8.7 आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावा के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट / संस्थान के आवंटन हेतु मान्य होगी। एक बार अंतिम रूप से आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोटि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र कॉउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य [Unreserved (UR)] कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

8.8 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेन्डर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो।

8.9 जिला कोड :

आवेदनपत्र में निर्धारित स्थानों पर जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	22.	समस्तीपुर	22
2.	भोजपुर	02	23.	मधुबनी	23
3.	बक्सर	03	24.	सहरसा	24
4.	रोहतास	04	25.	मधेपुरा	25
5.	भूभुआ	05	26.	सुपौल	26
6.	नालन्दा	06	27.	पूर्णिया	27
7.	गया	07	28.	कटिहार	28
8.	नवादा	08	29.	किशनगंज	29
9.	औरंगाबाद	09	30.	अररिया	30
10.	अरवल	10	31.	भागलपुर	31
11.	जहानाबाद	11	32.	बांका	32
12.	सारण	12	33.	मुंगेर	33
13.	सिवान	13	34.	बेगुसराय	34
14.	गोपालगंज	14	35.	खगड़िया	35
15.	वैशाली	15	36.	जमुई	36
16.	मुजफ्फरपुर	16	37.	लखीसराय	37
17.	सीतामढ़ी	17	38.	शेखपुरा	38
18.	शिवहर	18	39.	<u>बिहार के बाहर</u>	
19.	पूर्वी चम्पारण	19	(i)	झारखंड	98
20.	पश्चिमी चम्पारण	20	(ii)	अन्य सभी स्थान	99
21.	दरभंगा	21			

8.10 लिंग (Sex) :

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

- i. Male (पुरुष)
- ii. Female (महिला)
- iii. Third gender (हिंजड़ा)

नोट : सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-12722 दिनांक 12.09.2014 के आलोक में किन्नर / कोथी / हिंजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

8.11 आवासीय विवरण :

आवेदन-पत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2023 में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों। इसके लिए निर्धारित प्रमाणपत्र कॉउन्सेलिंग में लाना अनिवार्य होगा [देखें केंद्रिका- 9.1 (ग)]।

8.12 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र कॉउन्सेलिंग में लाना अनिवार्य होगा। जो जाति प्रमाण-पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के मूल आवेदन-पत्र में अंकित आरक्षण कोटि के लिये सुसंगत हो।

8.13 Online भरे गये आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) की Hard copy कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

8.14 Online भरे गये आवेदन पत्र की Hard copy के साथ अनुलग्नकों की सूची (List of Enclosures) :

विवरण पुस्तिका के अनुसार सभी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार/ कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य है। इस विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में प्रमाण-पत्रों की सूची वर्णित है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो पृष्ठ संख्या-2 के 7(i) के अनुसार मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार/ कॉउन्सेलिंग के समय लाना आवश्यक है।

यदि आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो पृष्ठ संख्या-1 एवं 2 के 7(ii) से 7(vi) तक के विकल्पों में से किसी एक, जो आपके लिए लागू हो, हेतु प्रमाण-पत्र लाना आवश्यक है।

9. शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएँ :

9.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप के लिये :-

(क) शैक्षणिक :

- I. Passed Minimum THREE Years / TWO Years (Lateral & Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in any branch of Engineering and Technology.

OR

Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) and passed 10+2 examination with Mathematics as a subject.

OR

Passed D.Voc. Stream in the same or allied sector.

(The Universities will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing, etc. for the students coming from diverse backgrounds to achieve desired learning outcomes of the programme).

- II. खण्ड III डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
- III. डिप्लोमा अभियंत्रण उत्तीर्ण किसी भी शाखा के छात्रों को डिग्री अभियंत्रण के 3rd Semester के किसी भी शाखा में, प्रवेश मेधा एवं विकल्प के आधार पर दिया जा सकता है।
- IV. होटल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एवं Architecture में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को क्रमशः होटल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एवं Architecture के शाखाओं हेतु ही योग्य माना जायेगा।

(ख) आयु सीमा :

प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

(ग) आवासीय :

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- I. जिनके माता-पिता बिहार के निवासी (Native) हैं।

अथवा

- II. जिनके माता-पिता बिहार में निर्बंधित शरणार्थी हैं।

अथवा

- III. जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार के कर्मचारी हैं।

अथवा

- IV. जिनके माता-पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।

अथवा

- V. जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारगारों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।

अथवा

- VI. जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

(घ) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरी जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

9.2 पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप के लिए :

(क) शैक्षणिक :

- पारा मेडिकल डिग्री कोर्स में इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन के लिए बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण।
- द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स की अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं ; परन्तु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थी जिस पारा मेडिकल डिग्री कोर्स / पाठ्यक्रम से द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण है, उसी कोर्स / पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उच्चतर पारा मेडिकल डिग्री के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु वे योग्य समझे जायेंगे।
- पारा मेडिकल डिग्री कोर्स / पाठ्यक्रम से जिस कोर्स / पाठ्यक्रम से अभ्यर्थी ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, उस कोर्स / पाठ्यक्रम

का उच्चतर पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी इस पार्श्वक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(ख) आयु सीमा :

पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) आवासीय : कडिका- 9.1 (ग) के अनुसार।

(घ) शारीरिक : कडिका- 9.1 (घ) के अनुसार।

9.3 फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप के लिए :

(क) शैक्षणिक :

i. फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम में इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन के लिए बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में उत्तीर्ण।

ii. द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स की अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं ; परन्तु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) आयु सीमा :

फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) आवासीय : कडिका- 9.1 (ग) के अनुसार।

(घ) शारीरिक : कडिका- 9.1 (घ) के अनुसार।

10. संस्थान-पाठ्यक्रम, सीटें :

10.1 संस्थानवार विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या परिशिष्ट-1 (सारणी-1 , सारणी-2 एवं सारणी-3) में देखें। इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सूचना साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय दे दी जायेगी।

10.2 पारा मेडिकल डिग्री के विभिन्न कोर्सेज / पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन अगर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा संसूचित की जाती है तो नामांकन हेतु साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग से पूर्व इसकी सूचना दे दी जायेगी।

11. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश)-2023 के संबंध में निर्देश :

11.1 प्रवेश पत्र :

प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद औपर्युक्त रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ ले।

प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (**Admit Card**) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाहा से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (**Admit Card**) में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेशपत्र के निर्धारित स्थानों पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

11.2 प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में देंगे (अंग्रेजी विषय सिर्फ अंग्रेजी में)। परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे।

11.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तालिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

11.4 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थीयों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेशपत्र पर अंकित रहेगा।

11.5 मेधा सूची :

11.5.1 (क) अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप :

- अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाईंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में केवल उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में गणित तथा ईंजिनियरिंग मेकेनिक्स विषयों में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।
- परीक्षा के इन दो विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर नामांकन किया जायेगा।
- मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(ख) पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप :

- अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाईंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में क्वालिफाईंग न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में एनाटोमी एवं फिजियोलौजी विषय खंड तथा पैथेलौजी, माइक्रो बायलौजी एवं बायो-केमेस्ट्री

विषय खंड में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।

- (iii) परीक्षा के इन दो विषय खंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों पर नामांकन किया जायेगा।
- (iv) मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(ग) फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप :

- (i) अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (ii) प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मेधा निर्धारण में Pharmaceutics-I + अन्य विषय (खंड-I), एवं Pharmaceutics-II + अन्य विषय (खंड-II), विषय खंड में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।
- (iii) परीक्षा के इन दो विषय खंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। फार्मेसी पाठ्यक्रम में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों पर नामांकन किया जायेगा।
- (iv) मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

11.5.2 अगर दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों का जोड़ समान हो तो उनका मेधाक्रम स्तर-क्रमवार निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा;

क्रम स्तर-क्रम	अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम ग्रुप	फार्मेसी पाठ्यक्रम ग्रुप
(1) प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	खंड-I (गणित विषय) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-I (एनाटोमी फिजियोलौजी) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-I (Pharmaceutics-I तथा अन्य) के प्राप्तांक के अनुसार
(2) स्तर क्रम-1 का जोड़ समान होने पर।	खंड-II (इंजीनियरिंग मेकेनिक्स) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-II (पैथेलौजी, माईक्रोबायलौजी एवं बायोकेमेस्ट्री) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-II (Pharmaceutics-II तथा अन्य) के प्राप्तांक के अनुसार
(3) स्तर क्रम-2 का जोड़ समान होने पर।	जिसकी जन्म तिथि पहले हो	जिसकी जन्म तिथि पहले हो	जिसकी जन्म तिथि पहले हो

11.6 उत्तर-पत्रकों/ उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई इससे संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।

11.7 जो आवेदक अपने मूल आवेदनपत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय या उत्तर-पत्रकों/ उत्तर-पुस्तिकाओं में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। ऐसे निष्कासित आवेदकों को बी.सी.ई.सी.ई.बी. द्वारा संचालित बी.सी.ई.सी.ई. (पार्श्विक प्रवेश) की अगली तीन प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्चित कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बिहार परीक्षा अधिनियम-1981 के अनुसार किसी परीक्षा में अनुचित तरीके से अभिप्रेत है कि किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

12. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) -2023 के उपरान्त :

- (i) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित सूचना उचित समय पर डाक द्वारा या बी.सी.ई.सी.ई.बोर्ड के वेबसाइट "bceceboard.bihar.gov.in" पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा- सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अध्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा। कॉउन्सेलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।
- (ii) चयनोपान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार के आरक्षण नियम जो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए Online आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू हैं, के अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कॉडिका 2)। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।
- (iii) प्रत्येक अध्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अध्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा।
- (iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे।

12.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग पत्र में दी जायेगी।

13. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 13.1** परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।

- 13.2** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 13.3** इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 13.4** महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (**College Leaving Certificate**) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।
- 13.5** बी.सी.इ.सी.इ. (पार्श्विक प्रवेश)-2023 की विवरण पुस्तिका / आवेदन पत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम / सूचना को परिवर्तित / बिलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 13.6** नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 13.7** समय-समय पर पर्षद के वेबसाईट / समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्रकाशित मेधा- सूची में सम्मिलित आवेदकों को पत्रों द्वारा आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 13.8** अभ्यर्थियों के लिए परीक्षापूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरान्त निर्गत निर्देश, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे।
- 13.9** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो उसके लिये उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 13.10** अगर कोई अभ्यर्थी, इस परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इप्परसोनेशन का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाईल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी / उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके / उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे / उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (**Debar**) कर दिया जायेगा।
- 13.11** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के निये नियुक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 13.12** कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा।
- 13.13** अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी की परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी समय उस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अर उस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी का नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 13.14** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या उसमें कोई ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 13.15** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेंगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट-1 (सारणी-1)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) - 2023 के लिये सरकारी संस्थानों के अभियंत्रण ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा

Branchwise Statement of Total Available Seats in Different Govt. Engg. Colleges

SI.	INSTITUTION	BRANCH	10% of Total Intake
1	B.C.E. BHAGALPUR	CIVIL ENGG.	6
	B.C.E. BHAGALPUR	MECHANICAL ENGG.	6
	B.C.E. BHAGALPUR	ELECTRICAL ENGG.	6
	B.C.E. BHAGALPUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	B.C.E. BHAGALPUR	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	B.C.E. BHAGALPUR Total		30
2	M.I.T. MUZAFFARPUR	CIVIL ENGG.	6
	M.I.T. MUZAFFARPUR	MECHANICAL ENGG.	6
	M.I.T. MUZAFFARPUR	ELECTRICAL ENGG.	6
	M.I.T. MUZAFFARPUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	4
	M.I.T. MUZAFFARPUR	I.T.	4
	M.I.T. MUZAFFARPUR	LEATHER TECH.	2
	M.I.T. MUZAFFARPUR	BIOMEDICAL & ROBOTIC ENGG.	6
	M.I.T. MUZAFFARPUR Total		34
3	G.C.E. GAYA	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	G.C.E. GAYA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	G.C.E. GAYA	MECHANICAL ENGG.	6
	G.C.E. GAYA	CIVIL ENGG.	6
	G.C.E.GAYA Total.		24
4	M..C.E. MOTIHARI	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	M..C.E. MOTIHARI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	M..C.E. MOTIHARI	MECHANICAL ENGG.	6
	M..C.E. MOTIHARI	CIVIL ENGG.	6
	M..C.E. MOTIHARI	CIVIL ENGG. WITH COMPUTER APPLICATION	3
	M..C.E. MOTIHARI	COMPUTER Sc. & Engg. (AI)	3
	M..C.E. MOTIHARI Total		30
5	D.C.E. DARBHANGA	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	D.C.E. DARBHANGA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	D.C.E. DARBHANGA	MECHANICAL ENGG.	6
	D.C.E. DARBHANGA	CIVIL ENGG.	6
	D.C.E. DARBHANGA	FIRE TECHNOLOGY & SAFETY	6
	D.C.E. DARBHANGA Total		30
6	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	MECHANICAL ENGG.	6
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	CIVIL ENGG.	6
	NALANDA COLLEGE. OF ENGG,CHANDI	AERONAUTICAL ENGG.	6
	NALANDA COLLEGE OF ENGG, CHANDI, NALANDA		30
7	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	MECHANICAL ENGG.	6
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	CIVIL ENGG.	6
	L.N.J.P.I.T. TECHNOLOGY. CHAPRA	FOOD PROCESSING & PRESERVATION	6
	L.N.J.P.I.T CHAPRA TOTAL		30
8	B.C.E. BAKHTIYARPUR	CIVIL ENGG.	6
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	MECHANICAL ENGG.	6
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	COMPUTER Sc. & Engg. (IOT)	3
	B.C.E. BAKHTIYARPUR	FIRE TECHNOLOGY & SAFETY	3
	B.C.E. BAKHTIYARPUR Total		30
9	S.I.T. SITAMARHI	CIVIL ENGG.	6
	S.I.T. SITAMARHI	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	S.I.T. SITAMARHI	ELECTRICAL ENGG.	6
	S.I.T. SITAMARHI	MECHANICAL ENGG.	6
	S.I.T. SITAMARHI	CIVIL ENGG. WITH COMPUTER APPLICATION	3
	S.I.T. SITAMARHI	COMPUTER Sc. & Engg.(AI & ML)	3
	S.I.T. SITAMARHI Total		30
10	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	CIVIL ENGG.	6
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	MECHANICAL ENGG.	6
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI	CHEMICAL ENGG.	6
	R.R.D.C.E. BEGUSARAI Total		30
11	S.C.E SASARAM	CIVIL ENGG.	6
	S.C.E SASARAM	COMPUTER Sc. & Engg.	6
	S.C.E SASARAM	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	6
	S.C.E SASARAM	MECHANICAL ENGG.	6
	S.C.E SASARAM	MINING ENGG.	6
	S.C.E SASARAM Total		30

SI.	INSTITUTION	BRANCH	10% of Total Intake
12	B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA B.P.M.C.E. MADHEPURA Total	CIVIL ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. MECHANICAL ENGG. 3-D ANIMATION & GRAPHICS CIVIL ENGG. WITH COMPUTER APPLICATION	6 6 6 6 3 3 30
13	K.C.E., KATI HAR K.C.E., KATI HAR K.C.E., KATI HAR K.C.E., KATI HAR K.C.E., KATI HAR K.C.E., KATI HAR Total	CIVIL ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. MECHANICAL ENGG. FOOD PROCESSING & PRESERVATION	6 6 6 6 6 30
14	PURNEA COLLEGE OF ENGG. PURNEA COLLEGE OF ENGG. PURNEA COLLEGE Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. COMPUTER Sc. & Engg. (AI)	6 6 6 6 3 3 30
15	SAHARSA COLLEGE OF ENGG. SAHARSA COLLEGE OF ENGG. SAHARSA COLLEGE OF ENGG. SAHARSA COLLEGE OF ENGG. SAHARSA COLLEGE OF ENGG. SAHARSA COLLEGE Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. (Data Science)	6 6 6 6 6 30
16	SUPAUL COLLEGE OF ENGG. SUPAUL COLLEGE OF ENGG. SUPAUL COLLEGE OF ENGG. SUPAUL COLLEGE OF ENGG. SUPAUL COLLEGE OF ENGG. SUPAUL COLLEGE Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg.	6 6 6 6 3 27
17	GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA GOVT. ENGG. COLLEGE, BANKA Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. COMPUTER Sc. & Engg. (IOT)	6 6 6 6 3 3 30
18	GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI GOVT. ENGG. COLLEGE, VAISHALI GOVT. ENGG. COLLEGE, Vaishali Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. (IOT)	6 6 6 6 6 30
19	GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI GOVT. ENGG. COLLEGE, JAMUI GOVT. ENGG. COLLEGE, Jamui Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg.(AI & ML)	6 6 6 6 6 30
20	GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA GOVT. ENGG. COLLEGE, NAWADA Total	CIVIL ENGG. ELECTRICAL ENGG. MECHANICAL ENGG.	12 6 6 24
21	GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ GOVT.ENGG. COLLEGE KISHANGANJ GOVT. ENGG. COLLEGE, KISHANGANJ Total	CIVIL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6 6 6 6 24
22	SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE, ARARIA SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE, ARARIA SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE, ARARIA SHRI PHANISHWAR NATH RENU ENGG. COLLEGE, ARARIA GOVT. ENGG. COLLEGE, ARARIA Total	CIVIL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6 6 6 6 24
23	GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER GOVT. ENGG.COLLEGE MUNGER GOVT. ENGG. COLLEGE, MUNGERTotal	CIVIL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRICAL ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. (AI)	12 6 6 6 30
24	GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR GOVT ENGG. COLLEGE SHEOHAR GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEOHAR Total	CIVIL ENGG. MECHANICAL ENGG. ELECTRICAL ENGG. ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG. COMPUTER Sc. & Engg. (Data Science)	6 6 6 6 6 30

SI.	INSTITUTION	BRANCH	10% of Total Intake
25	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	CIVIL ENGG.	6
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	GOVT ENGG COLLEGE W. CHAMPARAN	COMPUTER Sc. & Engg. (Cyber Security)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, W. CHAMPARAN Total		30
26	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD	COMPUTER Sc. & Engg. ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, AURANGABAD Total		30
27	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR	COMPUTER Sc. & Engg. (Networks)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KAIMUR Total		30
28	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	ELECTRICAL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ	COMPUTER Sc. & Engg. (IOT & Cyber Security including Block Chain Technology)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, GOPALGANJ Total		30
29	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	CIVIL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, MADHUBANI		24
30	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	ELECTRICAL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN	COMPUTER Sc. & Engg. (IOT)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SIWAN TOTAL		30
31	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	CIVIL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, JEHANABAD TOTAL		24
32	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	ELECTRICAL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL	COMPUTER Sc. & Engg. (Data Science)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, ARWAL TOTAL		30
33	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	CIVIL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA	COMPUTER Sc. & Engg. (IOT)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, KHAGARIA Total		30
34	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXTAR	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXTAR	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXTAR	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXTAR	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BUXTAR Total		24
35	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR	INSTRUMENTATION ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, BHOJPUR Total		24
36	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA	ELECTRO & COMMUNICATION, ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE, SHEIKHPURA Total		24
37	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	CIVIL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	ELECTRICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI	COMPUTER Sc. & Engg. (AI)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF LAKHISARAI Total		30
38	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	CIVIL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	MECHANICAL ENGG.	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	ELECTRICAL ENGG.	12
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR	COMPUTER Sc. & Engg. (Cyber Security)	6
	GOVT. ENGG. COLLEGE OF SAMASTIPUR Total		30
	Total		1087

नोट: i. संस्थान / पादयक्रम / सीटों की संख्या में वर्ति कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉड-न्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सुचित कर दिया जायेगा ।

ii. दिखाए गए कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्पूर्णता है ।

iii. संस्थानवार / पादयक्रमवार / आरब्लॉग कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काठ-न्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

iv. उपर्युक्त सीटें अभावशिष्ट से स्वीकृत की प्रत्याशा में औपचारिक रूप से दिखायी जा रही हैं ।

v. पार्सिचक प्रवेश के माध्यम से नामांकन हेतु अधिवर्षण संस्थानों में संचालित पादयक्रमों में विगत सत्र 2022 में प्रथम वर्ष के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत (उपरोक्त सारणी में दर्शाये) एवं विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के परिवारूप से सीटों को जोड़कर नामांकन किया जाएगा।

परिशिष्ट-1 (सारणी-1B)

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2023 के लिये ललित नारायण
मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अंतर्गत संस्थान के अभियंत्रण ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा**

Branchwise Statement of Total Available Seats

Sl. No.	Institute	Information Technology	Computer Sc. & Engg.	Total
1	Dr. APJ Abdul Kalam Womens Institute of Technology, Navodaya Complex, Kameshwari Nagar, Darbhanga	3	6	9
Total of Sanctioned Seats		3	6	9

- नोट:** i. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
- ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगी ।
- iii. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।
- iv. पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से नामांकन हेतु अभियंत्रण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में विगत सत्र 2022 में प्रथम वर्ष के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत (उपरोक्त सारणी में दर्शायें) एवं विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात् रिक्त रह गये सीटों को जोड़कर नामांकन किया जाएगा।

परिशिष्ट-1 (सारणी-2)

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश)-2023 के लिये प्राइवेट संस्थानों के अभियंत्रण
ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा**

Branchwise Statement of Total Available Seats in Different Private Colleges

Sl. No.	Institute	Civil Engg.	Electronics & Communication Engg.	Mechanical Engg.	Electrical Engg.	Computer Engg.	Total
1	Exalt College of Engineering, Kanhauli, Hajipur	6	6	6	6	0	24
2	Buddha Institute of Technology, Gaya	6	6	6	6	6	30
Total of Sanctioned Seats		12	12	12	12	6	54

- नोट:
- i. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद कॉउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।
 - ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगी ।
 - iii. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।
 - iv. पार्श्वक प्रवेश के माध्यम से नामांकन हेतु अभियंत्रण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में विगत सत्र 2022 में प्रथम वर्ष के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत (उपरोक्त सारणी में दर्शायें) एवं विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात् रिक्त रह गये सीटों को जोड़कर नामांकन किया जाएगा।

परिशिष्ट-1 (सारणी-3)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2023 के लिये पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Institution/College	Name of the Course	Total UR seats									
			SC	ST	EBC	BC	RCG	EWS	DQ			
1.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Medical Laboratory Technology	10	04	02	-	02	01	-	1	1	
2.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Operation Theatre Technology	10	04	02	-	02	01	-	1	-	
3.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Radio Imaging Technology	10	04	01	1	01	02	-	1	-	
4.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Optometry	10	04	01	-	02	01	1	1	1	
TOTAL			40	16	06	01	07	05	01	04	02	

- नोट:**
- i. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की संख्या एवं EWS सहित सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद कॉउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - iv. उपर्युक्त सीटें सम्बन्धित प्राधिकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबन्धित रूप से दिखायी जा रही हैं। भविष्य में संस्थान / संस्थानों की मान्यता रद्द होने / नये संस्थानों की मान्यता प्राप्त होने तथा पाठ्यक्रम की अनुमोदित सीटों में बढ़ोतरी / घटोतरी की सूचना यथासाध्य नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

परिशिष्ट-1 (सारणी-4)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2023 के लिये फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Institution/College	Name of the Course	Total seats
1.	M.I.T., Muzaffarpur,	B. Pharma	10
2.	Govt. Pharmacy Institute, Agam Kuan, Patna.	B. Pharma	10
TOTAL			20

- नोट:** i. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
ii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद कॉउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
iii. भरी जाने वाली बी.फार्मा की उपरोक्त सीटें सक्षम प्राधिकार / फार्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा अनुमोदित हैं।

परिशिष्ट-2 (i)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2023 के लिये अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप का मार्गदर्शक पाठ्यक्रम

विषय खण्ड-(I)

MATHEMATICS :

1. **Solid Geometry :** Cartesian, Cylindrical, Polar, Spherical Polar Co-ordinates, Direction ratios and direction cosines, equations of Planes and Straight lines shortest distance, Co-ordinate transformations, Spheres, Cones, Cylinders, Ellipsoids, Paraboloids and Hyperboloid, Standard equations. With illustration, tangent, Planes and normals.
2. **Differential Calculus :** Review of Limit. Continuity and differentiability of functions of a Single Variable with terminology, Properties of Continuous functions, geometrical illustrations, applications of differentiation to approximate computations, Successive differentiation, Leibnitz rule, Rolle's theorem, Cauchy's mean value theorem (Lagrange mean value theorem as a special case). Taylor and Maclaurin expansions, L-Hospital rule, Review of maxima and minima of function of Single Variable, Concavity and Convexity of a Curve, Points of inflexion, asymptotes and Curvature. Limit, Continuity and differentiability of function, geometrical interpretations, differentials, derivatives of composite and implicit function, derivative of higher orders and their Commutativity, Euler's theorem on homogeneous function. Taylor expansion of functions of several variables, maxima and minima of functions of several variables. Lagrange method of multipliers.
3. **Integral Calculus :** Riemann integrals (upper and lower sums), definite integral as the limit of a sum, Fundamental theorem of integral calculus, mean value theorems, evaluation of definite integrals, reduction formula, convergence of improper integrals, tests of convergence, beta and gamma functions, elementary properties, differentiation under integral sign, differentiation of integrals with variable limits, Leibnitz rule, integrals dependent on a parameter applications, Rectification, double and triple integrals, computation of surfaces and volumes, change of variables in double integrals, Jacobean transformations, integrals dependent on parameters application.
4. **Differential Equations :** First order equation variable separable, exact, homogeneous, linear and Bernoulli's form, second order equations with constant coefficients, Euler equations, methods of their solution, Dependence and independence of Solutions, wronskian systems of first order equations (Simple type).
5. **Vector Calculus :** Scalar and vector fields, level surfaces, directional derivative, gradient, curl, divergence, laplacian, line and surface integrals, theorem of green, Gauss and Stokes, Orthogonal Curvilinear coordinates, Infinite Series; Sequence and series their convergence and divergence, test of convergence, Power Series - uniform and absolute convergence.
6. **Matrices :** Algebra of matrices, vector space, linear dependence of vectors, rank and inverse of a matrix, solutions of algebraic equations, consistency conditions, eigen value and eigen vectors, similarity transformation reduction to a diagonal matrix.
7. **Fourier Series :** Its convergence, Dirichlet conditions, half range series.

विषय खण्ड-(II)

ENGINEERING MECHANICS :

1. **Introduction :** Idealization of Mechanics, concept of Rigid Body. External Forces [Body forces & Surface Forces], Laws of Mechanics.
2. **Vector Methods :** Equality and Equivalence of vectors, Free and Bound Vectors, Principle of Transmissibility of forces, Moment of a force about a point and about a line, couple and moment of a couple, couple moment as a free - vector, Addition and subtraction of couples.
3. **Various Systems of Forces :** Statically Equivalent Force Systems, Simplest Equivalent of a System of forces.
4. **Equilibrium :** Force analysis, Free Body Diagram, Equations of equilibrium and their applications to

various system of forces, Plane Trusses.

5. **Friction** : Friction on dry surfaces, static, Kinetic and rolling friction, applications to inclined planes, wedge and blocks and belts and pulleys.
6. **Kinematics and Kinetics of a Particle** : Rectilinear and Curvilinear translations, Normal and tangential components of acceleration, Projectile motion on a smooth vertical curve.
7. **Impulse and Momentum** : Linear Impulse and linear momentum, Central Impact of elastic, semi-elastic & Plastic bodies.
8. **Kinematics and Kinetics of Rigid Bodies** : Angular Velocity and angular acceleration, Effective Forces on a rigid body, D'Alembert's Principle-Application to Highways and Railway-tracks, Instantaneous centre of rotation, compound pendulum, centre of percussion, Rotation of Rigid bodies, Rolling motion, Plane motion of rigid bodies, simple application - Four bar mechanism.
9. **Work, Energy and Power** : Work done by forces and couples, Potential, Elastic and kinetic energy, work energy, conservation of energy, concept of power and efficiency.

विषय खण्ड-(III)

TECHNICAL ENGLISH :

1. **Grammar and Comprehension** : (a) Subject - Verb concord (b) Tense (c) Voice (d) Synthesis (e) Common Errors (f) Vocabulary, Unseen Passage will be set to test the language skills mentioned above.
2. **Business Correspondence** : (a) Drafting Official and Business Letters (b) Drafting Circulars and Official Orders / Instructions (c) Drafting Minutes and Agenda of the Meeting.
3. **Elementary Spoken English** : Elementary theory of phonetics.
4. **Sentence and Paragraph Writing.**
5. **Report Writing** : (i) Importance of Reports in the Present day Industrial Set-up (ii) Classification of Reports (iii) Writing of Reports :- (a) Format (b) Mechanics of language.
6. **Technical Description of things and Processes.**
7. **Precis Writing.**
8. **Spoken English.**

परिशिष्ट-2 (ii)

**INDICATIVE SYLLABUS FOR PARA-MEDICAL COURSE GROUP
OF BCECE(LE)-2023**

विषय खण्ड-(I)

ANATOMY & PHYSIOLOGY :

I. Anatomy :

- 1) Introduction of bones and muscles
- 2) Different Vital Organs:-
 - i) Respiratory organ
 - ii) Circulatory organ
 - iii) Digestive organ
 - iv) Reproductive organ
 - v) Liver & Spleen
 - vi) Excretory organ
 - vii) Central Nervous organ
 - viii) Sense organ
- 3) Embryology

II. Physiology :

- 1) Introduction- Definition
- 2) Basic knowledge of various system :-
 - i) Cardio-Vascular system
 - ii) Respiratory
 - iii) Digestive
 - iv) Excretory
 - v) Reproductive
 - vi) Endocrine
 - vii) Lymphatic
 - viii) Central Nervous
 - xi) Circulatory
- 3) Special Senses:-
 - i) Auditory system
 - ii) Olfactory
 - iii) Visual
 - iv) Tactile sensation
 - v) Taste sensation
- 4) Pulse, B.P.- Systolic & Diastolic Blood Pressure, Heart sound (Normal & Abnormal), Cyanosis, Edema and Temperature regulation.
- 5) Skin.

विषय खण्ड-(II)

PATHOLOGY, MICROBIOLOGY & BIOCHEMISTRY :

I. Pathology :

- 1) General Pathology- Introduction
- 2) Hematology:-
 - i) Haemoglobin:- a) Estimation
b) Other details

- ii) E.S.R.: a) Estimation
b) other details
- iii) Complete Blood Count (C.B.C)
- iv) Blood of its functions
- v) Blood Banking
- vi) Blood coagulation
- vii) Heamoopoesis
- viii) Anemia's
- ix) Heamoglobinopathy
- 3) Clinical Pathology:-
- i) Body fluid
 - Urin; Stool & Cerebro-Spinal Fluid
 - a) Collection
 - b) Normal Values
 - c) Physical, Chemical and Microscopic Examination
 - Other Body Fluid
 - a) Collection
 - b) Normal Values
 - c) Physical, Chemical and Microscopic Examination and
 - d) Transuded and Exudates

II. Microbiology

- 1) Introduction
- 2) Bacteriology of water, food
- 3) Bacteriology of Milk, Pasteurization of Milk
- 4) Lab Diagnosis of;-
 - i) Staphylococcal infection
 - ii) Streptococcal infection
 - iii) Diphtheria
 - iv) Meningitis
 - v) Typhoid fever
 - vi) Cholera
 - vii) Tuberculosis
 - viii) Bacillary dysentery
 - xi) Septicemia
- 5) Methods of Colony count
- 6) Disposal of Bio-Medical waste
- 7) Sterilization
- 8) Culture-Media
- 9) Identification methods of Bacteria by colony character and Staining & Motility tests
- 10) Microbial world and structure of Mien be
- 11) Antibiotic sensitivity testing
- 12) Morphological variations and classification of bacteria
- 13) Physiology and growth requirement of bacteria
- 14) Anaerobiosis methods
- 15) Disposal of laboratory waste
- 16) Methods of inclusion of culture media from different samples

III. Bio-Chemistry :

- 1) Introduction of Bio-chemistry:-
 a) pH indicator
 b) Ionization of water buffer, pH value of solution using.
 c) Definition and preparation of reagent
- 2) General Bio-chemistry:-
 i) Collection & recording of bio-chemical specimen, separation of serum / plasma preservation and disposal of biological materials
 ii) Chemical examination of urine and stool
 iii) Chemical examination of other body fluids & transuded & exudates
 iv) Laboratory management and maintenance of records
- 3) Introductive knowledge of:-
 i) Carbohydrate
 ii) Protein
 iii) Lipid
- 4) Electrolytes
- 5) Liver function test
- 6) Kidney function test
- 7) Lipid profile
- 8) Analytical Bio-chemistry:-
 i) Estimation of specific gravity of urine
 ii) Urinary protein
 iii) Blood sugar
 iv) Blood urea
 v) Serum cretonne
 vi) Blood cholesterol
 vii) Serum Bilrubin, SGPT, SGOT
 viii) Alkaline phosphate
 xi) Australia antigen

विषय खण्ड-(III)**TECHNICAL ENGLISH :**

1. Grammer and Comprehension :
 a) Subject verb concord
 b) Tense
 c) Voice
 d) Synthesis
 e) Common errors
 f) Vocabulary
 g) Unseen passage to test language skills
 2. Elementary Spoken English (Theary of Phonetics)
 3. Sentance and paragraph writing
 4. Report Writing :
 a) Classification, Format and writing of reports
 b) Mechanics of language
 5. Technical Description of things and processes
 6. Precis writing
 7. Spoken English.
-

परिशिष्ट-2 (iii)

INDICATIVE SYLLABUS FOR PHARMACY COURSE GROUP OF BCECE(LE)-2023

विषय खण्ड-(I)

PHARMACEUTICS-I

1. Introduction of different dosage forms, Their classification with examples-their relative applications. Familiarisation with new drug delivery systems.
2. Metrology-Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations, Isotonic solutions.
3. Metrology-Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations, Isotonic solutions.
4. Packing of Pharmaceuticals-Desirable features of a container-type of containers. Study of glass and plastics as materials for containers and rubber as a material for closures-their merits and demerits. Introduction to aerosol packaging.
5. Size reduction Objectives, and factors affecting size reduction, methods of size reduction-Study of Hammer mill, Ball mill, Fluid Energy Mill and Disintegrator.
6. Size separation-Size separation by sifting. Official Standard for powders. Sedimentation methods of size separation. Construction and working of cyclone separator.
7. Mixing and Homogenisation-Liquid mixing and powder mixing, Mixing of semisolids, Study of Silverson Mixer-Homogeniser, planetary Mixer; Agitated powder mixer; Triple Roller Mill; Propeller Mixer, Colloid Mill and Hand Homogeniser. Double cone mixer.
8. Clarification and filtration-Theory of filtration, filter media; filter aids and selection of filters. Study of the following filtration equipments-filter Press, Sintered Filters,filter Candles, Metafilter.
9. Extraction and Galenicals-
 - (a) Study of percolation and maceration and their modification, Continuous hot extraction-Applications in the preparation of tinctures and extracts.
 - (b) Introduction to Ayurvedic dosage forms.
10. Heat processes Evaporation -Definitions Factors affecting evaporation-Study of evaporating still and Evaporating Pan.
11. Distillation-Simple distillation and Fractional Distillation; Steam distillation and vacuum distillation. Study of vacuum still, Preparation of Purified Water I.P. and water for Injection I.P. Construction and working of the still used for the same.
12. Introduction to drying processes-Study of Tray Dryers: Fluidized Bed Dryer, Vacuum Dryer and Freeze Dryer.
13. Sterilization-Concept of sterilization and its differences from disinfection-Thermal resistance of micro-organisms. Detailed study of the following sterilization process.
 - (i) Sterilization with moist heat.
 - (ii) Dry heat sterilization,
 - (iii) Sterilization by radiation.
 - (iv) Sterilization by filtration and
 - (v) Gaseous sterilization.
- Aseptic techniques. Application of Sterilization processes in hospitals particularly with reference to surgical dressings and intravenous fluids. Precautions for safe and effective handling of sterilization equipments.
14. Processing of Tablets-Definition: different types of compressed tablets and their properties. Processes involved in the production of tablets; Tablets excipients; Defects in tablets. Evaluation of Tablets; Physical Standards including Disintegration and Dissolution. Tablets coating-Sugar coating; Film coating, enteric coating and microencapsulation (Tablets coating may be dealt in an elementary manner.)
15. Processing of Capsules-hard and soft gelating capsules; different sizes capsules; filling of capsules; handling and storage of capsules, special applications of capsules.
16. Study of immunological products like sera vaccine toxoids & their preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-I

1. General discussion on the following inorganic compounds including important physical and chemical properties, medicinal and Pharmaceutical uses, storage conditions and chemical incompatibility.
 - (A) Acids, bases and buffers Boric acid*, Hyd- rochloric acid, strong ammonium hydroxide, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide and official buffers.
 - (B) Antioxidants-Hypophosphorous acid, Sulphur dioxide, Sodium bisulphite, Sodium metabisulphite, Sodium thiosulphate, Nitro- gen and Sodium Nitrite.
 - (C) Gastrointestinal agents-
 - (i) Acidifying agents Dilute hydrochloric acid.
 - (ii) Antacids-Sodium bicarbonate, Aluminium hydroxide gel, Aluminium Phosphate, Calcium carbonate, Magnesium carbonate, Magnesium trisilicate, Magnesium oxide. Combinations of antacid preparations.
 - (iii) Protectives and Adsorbents-Bismuth subcarbonate and Kaolin.
 - (iv) Saline Cathartics-Sodium Potassium tartrate and Magnesium sulphate.

- (D) Topical Agents-
- (i) Protectives-Talc, Zinc Oxide, Calamine, Zinc stearate. Titanium dioxide. Silicone poly- mers.
 - (ii) Antimicrobials and Astringents-Hydrogen peroxide", Potassium permanganate, Chlorinated lime, Iodine, Solutions of Iodine, Povidone-iodine, Boric acid, Borax. Silver nitrate, Mild silver protein, Mercury, Yellow mercuric oxide, Ammoniated mercury.
 - (iii) Sulphur and its compounds-Sublimed sulphur precipitated sulphur, selenium sulphide.
 - (iv) Astringents:-Alum and Zinc Sulphate.
- (E) Dental Products-Sodium Fluoride, Stannous Flouride, Calcium carbonate, Sodium metaphosphate, Dicalcium phosphate, Strontium chloride, Zinc chloride.
- (F) Inhalants-Oxygen, Carbon dioxide, Nitrous oxide.
- (G) Respiratory stimulants-Ammonium Carbonate
- (H) Expectorants and Emetics-Ammonium chloride," Potassium iodide, Antimony Potassium tartrate.
- (I) Antidotes-Sodium nitrate.
2. Major Intra and Extracellular electrolytes-
- (A) Electrolytes used for replacement therapy--Sodium chloride and its preparations, Potassium chloride and its preparations.
 - (B) Physiological acid-base balance and electrolytes used-Sodium acetate, Potassium acetate, Sodium bicarbonate injection, Sodium citrate, Potassium citrate, Sodium lactate injection, Ammonium chloride and its injection.
 - (C) Combination of oral electrolyte powders and solutions.
3. Inorganic Official compounds of Iron, Iodine, and Calcium Ferrous Sulfate and Calcium gluconate.
4. Radio pharmaceuticals and Contrast media-Radio activity-Alpha. Beta and Gamma Radiations, Biological effects of radiations, Measurement of radio activity, G. M. Counter Radio isotopes- their uses, storage and precautions with special reference to the official preparations.
- Radio opaque Contrast media-Barium sulfate.
5. Quality control of Drugs and Pharmaceuticals- Importance of quality control, significant errors, methods used for quality control, sources of impurities in Pharmaceuticals. Limit tests for Arsenic, chloride, sulphate, Iron and Heavy metals.
6. Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia

PHARMACOGNOSY

1. Definition, History and scope of Pharmacognosy including indigenous system of medicine.
2. Various systems of classification of drugs of natural origin.
3. Adulteration and drug evaluation; significance of Pharmacopoeial standards.
4. Brief outline of occurrence, distribution, outline of isolation, identification tests, therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins.
5. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of following categories of drugs.
 - (a) Laxatives : Aloes, Rhubarb, Castor oil, Ispaghula, Senna.
 - (b) Cardiotonics - Digitalis, Arjuna.
 - (c) Carminatives & G.I. regulators - Umbelliferous fruits, Coriander, Fennel, Ajowan, Cardamom Ginger, Black pepper, Asafoetida, Nutmeg, Cinnamon, Clove.
 - (d) Astringents-Catechu.
 - (e) Drugs acting on nervous system-Hyoscyamus, Belladonna, Aconite, Ashwagandha, Ephedra, Opium, Cannabis, Nux vomica.
 - (f) Antihypertensives - Rauwolfia.
 - (g) Antitussives - Vasaka, Tolu balsam Tulsi
 - (h) Antirheumatics - Guggul, Colchicum
 - (i)
 - (j) Antileprotics - Chaulmoogra Oil.
 - (k) Antidiabetics - Pterocarpus, Gymnema, Sylvestro.
 - (l) Diuretics - Gokhru, Punarnava.
 - (m) Antidyseptics - Ipecacuanha
 - (n) Antiseptics and disinfectants Benzoin, Myrrh, Nim, curcuma.
 - (o) Antimalarials - Cinchona
 - (p) Oxytocics-Ergot.
 - (q) Vitamines - Shark liver Oil and Amla.
 - (r) Enzymes-Papaya, Diastase, Yeast.
 - (s) Perfumes and flavouring agents - peppermint Oil, Lemon Oil, Orange Oil, Lemon grass Oil, Sandalwood.
 - (t) Pharmaceuticals aids - Hone, Arachis Oil, Starch, Kaolin, Peelin, Olive Oil, Lanolin, Beeswax, Acacia, Tragacanth, Sodium alginate, Agar, Guar gum, gelatin.
 - (u) Miscellaneous-Liquorice, Garlic, Picrorhiza, Dioscorea, Linseed, Shatavari, Shankhapushpi, Pyrethrum, Tobacco.
 - 6. Collection and preparation of crude drug for the market as exemplified by Ergot, opium, Rauwolfia, digitalis, senna.
 - 7. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings - cotton, silk, wool and regenerated fibre.
 - 8. Gross anatomical studies of Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, fennel, Clove, ginger, Nuxvomica & Ipecacuanha.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

1. Introduction to biochemistry.
2. Brief chemistry and role of proteins, polypeptides and amino acids classification, Qualitative tests, Biological Value. Deficiency diseases.
3. Classification, qualitative tests. Diseases related to carbohydrate metabolism.
4. Brief chemistry and role of Lipids, Classification, qualitative tests. Diseases related to lipids metabolism.
5. Brief chemistry and role of Vitamins and Coenzymes.
6. Role of minerals and water in life processes.
7. Enzymes : Brief concept of enzymic action. Factors affecting it. Therapeutic and pharmaceutical importance.
8. Brief concept of normal and abnormal metabolism of proteins, carbohydrates and lipids.
9. Introduction to pathology of blood and urine.
 - (a) Lymphocytes and Platelets, their role in health and disease.
 - (b) Erythrocytes Abnormal cells and their significance.
 - (c) Abnormal constituents of urine and their significance in diseases.

HUMAN ANATOMY PHYSIOLOGY

1. Scope of Anatomy and Physiology. Definition of various terms used in Anatomy
2. Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes.
3. Elementary tissues of the body. i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.
4. Structure and function of skeleton. Classification of joints and their function, Joint disorder.
5. Composition of blood, functions of blood elements. Blood group and coagulation of blood. Brief information regarding disorders of blood.
6. Name and functions of lymph glands.
7. Structure and functions of various parts of the heart. Arterial and venous system with special reference to the names and positions of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.
8. Various parts of respiratory system and their functions. Physiology of respiration.
9. Various parts of urinary system and their functions, structure and functions of kidney. Physiology of Urine formation. Pathophysiology of renal diseases and oedema.
10. Structure of skeletal muscle. Physiology of muscle contraction. Names, position, attachments and functions of various skeletal muscles. Physiology of neuromuscular junction.
11. Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action. Anatomy and Physiology of autonomic nervous system.
12. Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eye and skin. Physiology of pain.
13. Digestive system; names of the various parts of digestive system and their functions. Structure and functions of liver, physiology of digestion and absorption.
14. Endocrine glands and Hormones. Locations of the glands, their hormones and functions. Pituitary, thyroid, Adrenal and Pancreas.
15. Reproductive system - Physiology and Anatomy of Reproductive system.

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY

1. Concept of Health-Definition of physical health, mental health, Social health, spiritual health determinates of health, indicators of health, concept of disease, natural history of diseases, the disease agents, concept of prevention of diseases.
 2. Nutrition and health-Classification of foods requirements, disease induced due to deficiency of proteins, Vitamins and minerals-treatment and prevention.
 3. Demography and family planning-Demography cycle, fertility, family planning, contraceptive methods, behavioural methods, natural family planning method, chemical method, mechanical methods. Hormonal contraceptives, population problem of India
 4. First aid-Emergency treatment in shock, snake-bite, burns poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings.
 5. Environment and health-Sources of water supply, water pollution, purification of water, health and air, noise light-solid waste disposal and control-medical entomology, arthropod borne diseases and their control, rodents, animals and diseases.
 6. Fundamental principles of microbiology classification of microbes, isolation, staining techniques of organisms of common diseases.
 7. Communicable diseases-Causative agents modes of transmission and prevention.
 - (a) Respiratory infections-Chicken pox, measles Influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis.
 - (b) Intestinal infections: poliomyelitis, Hepatitis Cholera. Typhoid. Food poisoning, Hook-worm infection.
 - (c) Arthropod borne infections-plague, Malaria, Filariasis.
 - (d) Surface infections-Rabies, Trachoma, Tetanus, Leprosy.
 - (e) Sexually transmitted diseases-Syphilis, Gonorrhoea, AIDS.
 8. Non-communicable diseases-Causative agents prevention care and control cancer, Diabetes, Blindness, Cardiovascular diseases.
-

9. Epidemiology-Its scope, methods, uses, dynamics of disease transmission. Immunity and immunization: Immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control. Disinfection, types of disinfection, disinfection procedures, for faces, urine, sputum, room linen dead-bodies, instruments.

विषय खण्ड-(II)

PHARMACEUTICS II

1. Dispensing Pharmacy:
 - (i) Prescriptions-Reading and understanding of prescription; Latin terms commonly used (Detailed study is not necessary), Modern methods of prescribing, adoption of metric system. Calculations involved in dispensing.
 - (ii) Incompatibilities in Prescriptions - Study of various types of incompatibilities - physicals, chemical and therapeutic.
 - (iii) Posology - Dose and Dosage of drugs, Factors influencing dose, Calculations of doses on the basis of age, sex and surface area. Veterinary doses.
2. Dispensed Medications:

(Note : A detailed study of the following dispensed medication is necessary. Methods of preparation with theoretical and practical as pccts, use of appropriate containers and closures, Special labeling requirements and storage conditions should be high-lighted).

 - (i) Powders-Types of powders-Advantages and disadvantages of powders, Granules, Cachets and Tablet triturates. Preparation of different types of powders encountered in prescriptions. Weighing methods, possible errors in weighing, minimum weighable amounts and weighing of material below the minimum weighable amount, geometric dilution and proper usage and care of dispensing balance.
 - (ii) Liquid Oral Dosage Form:
 - (a) Monophasic - Theoretical aspects including commonly used vehicles, essential adjuvant like stabilizers, colourants and flavours, with examples.

Review of the following monophasic liquids with details of formulation and practical methods.

Liquids for Internal Administration	Liquids for external administration or used on mucus membranes.
Mixtures and concentrates Syrups	Gargles Mouth washes Throat-paints Douches
Elixirs	Ear Drops Nasal drops & Sprays Liniments Lotions.

- (b) Biphasic Liquid Dosage Forms:
 - (i) Suspensions (elementary study)-Suspensions containing diffusible solids and liquids and their preparations. Study of the adjuvants used like thickening -agents, wetting agents, their necessity and quantity to be incorporated. Suspensions of precipitate forming liquids like tinctures, their preparations and stability. Suspensions produced by chemical reaction. An introduction to flocculated (non-flocculated) suspension system.
 - (ii) Emulsions-Types of emulsions, identification of emulsion system, formulation of emulsions, selection of emulsifying agents. Instabilities in emulsions. Preservation of emulsions.
 - (iii) Semi-Solid Dosage Forms:
- (a) Ointments - Types of ointments, Classification and selection of dermatological vehicles. Preparation and stability of ointments by the following processes:
 - (i) Trituration (ii) Fusion (iii) Chemical reaction (iv) Emulsification.
- (b) Pastes-Difference between ointments and pastes, bases of pastes. Preparation of pastes and their preservation.
- (c) Jellies-An introduction to the different types of jellies and their preparation.
- (d) An elementary study of poultice.
- (e) Suppositories and pessaries - Their relative merits and demerits, types of suppositories, suppository bases, classification, properties, Preparation and packing of suppositories. Use of suppositories for drug absorption.
- (iv) Dental and Cosmetic Preparations: Introduction to Dentrifrices , Facial cosmetics. Deodorants, Antiperspirants, Shampoos, Hair dressings and Hair removers.
- (v) Sterile Dosage Forms:

- (a) Parenteral dosage forms-Definitions, General requirements for parenteral dosage forms. Types of parenteral formulations, vehicles, adjuvants, processing, personnel, facilities and Quality control. Preparation of Intravenous fluids and admixtures- Total parenteral nutrition, Dialysis fluids.
- (b) Sterility testing, Particulate matter monitoring - Faulty seal packaging.
- (c) Ophthalmic Products-Study of essential characteristics of different ophthalmic preparations. Formulation additives, special precautions in handling and storage of ophthalmic products.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II,

1. Introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings.
2. The Chemistry of following Pharmaceutical organic compounds, covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important Physical and Chemical properties (Chemical structure of only those compounds marked with asterisk(*)).
 - The stability and storage conditions and the different type of Pharmaceutical formulations of these drugs and their popular brand names.
 - Antiseptics and Disinfectants - Proflavine*, Benzal- koniumchloride, Cetrimidc, Chlorocresol*, Chloroxylene. Formaldehyde solution, Hexachlorophene , Liquified phenol, Nitrofurantoin.
 - Sulfonamides-Sulfadiazinc, Sulfaguanidine*, Phthalylsulfathiazolc , Succinylsulfathiazole, fadimethoxine , sulfamethoxypyridazine, methoxazole. co-trirnoxazole. Sulfacetamide*
 - Antileprotic Drugs-Clofazimine , Thiambutosine. Dapsone*, Solapsone.
 - Anti-tubercular Drugs-Isoniazid*. PAS* Streptomycin, Rifampicin, ethambutol*, Thiasacetazone, Ethionamide, cycloserine, Pyrazinamide*
 - Antiamocbic and Anthelmintic Drugs-EmetineMetronidazole* Halogenated, Hydroxyquinolines, diloxanidefuxroate, paramomycin piperazinc*, Mebendazole, D.E.C.*
 - Antibiotics- Benzyle Penicillin*, Phenoxy methyl Penicillin*. Benzathine penicillin, Ampicilin* Cloxacillin, Carbenicillin, Gentamicin, Neomycin, Erythromycin, Tetracycline, Cephalexin, Cephaloridine Cephalothin, Griseofulvin, Chloramphenicol.
 - Antifungal agents-Undecylenic acid, Tolnaftate Nystatin, Amphotericin, Hamycin.
 - Antimalarial Drugs- Chloroquine* Amodiaquine Primaquine, Proguanil, Pyrimethamine*. Quinine Trimethoprim.
 - Tranquilizers-Chlorpromazine* Prochlorperazine, Trifluoperazine Thiothixene, Haloperidol*
 - Triperiod, Oxypertine, Chlordiazepoxide, Diazepam* Lorazepam, Memprobamate.
 - Hypnotics- Phenobarbitone*, Butobarbitone, Cyclobarbitorne, Nitrazepam, Glutethimide, Meghyprylone, Paraldehyde, Triclofos sodium.
 - General Anaesthetics-Halothane*, Cyclopropane*, Diethyl ether*, Meghohexital sodium, Thiopental sodium, Trichloraethlene.
 - Antidepressant Drugs-Amitriptyline, Nortryptiline, Imipramine* Phenelzine, Tranylcypromine.
 - Analeptics-Theophylline, Caffeine*. Coramine* Dextroamphetamine.
 - Adrenergic Drugs-Adrenaline* Noradrenaline, Isoprenaline*, Phenylephrine, Salbutamol, Terbutaline, Ephedrine*, Pseudoephedrine.
 - Adrenergic Antagonist- Tolazoline, Propranolol*, Practolol.
 - Cholongeric Drugs- Neostigmine*, Pyridostigmine pralidoxime, Pilocarpine, Physostigmine*
 - Cholinergic Antagonists-Atropine* Hyoscine, Homatropine, Propantheline*, Benztropine Tropicamide, Biperiden.*
 - Diuretic Drugs-Furosemide*, Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide*, Benzthiazide, Urea*, Mannitol*, Ethacrynic Acid.
 - Cardiovascular Drugs- Ethyl nitrite*, Glyceryl trinitrate, Alpha methyl dopa, Guanethidine, Clofibrate Quinidine.
 - Hypoglycemic Agents-Insulin, Chlorpropamide*, Tolbutamide, Glibenclamide, Pheformin*, Metformin.
 - Coagulants and Anti Coagulants-Heparin thrombin Menadione*, Bishydoroxcoumarin, Warfarin Sodium.
 - Local Anaesthetics-Lignocaine*, Procaine Benzocaine.
 - Histamine and Anti-Histaminic Agents-Histamine, Diphenhydramine*, Promethazine, Cyproheptadine, Mepyramine, Pheniramine, Chlorpheniramine*.
 - Analgesics and Anti pyretics morphin phethidine*, Codeine, Meghadone Aspirin* Praracetamol*, Analgin, Dextropropoxyphene, Pentazocine.

Non-steroidal anti-inflammatory Agents indomethacin*, Phenylbutazone*, Oxyphenbutazone, Ibuprofen, Thyroxine and Antithyroids Thyroxinem, Methimazole, Methylthiouracil Propylthiouracil.

Diagnostci Agents-Iopanoic Acid, Propylidone, Sulfobromophthalcin.

Sodium Indotindisulfonate, Indigo Carmine, Evansblue, Congo Red, Fluorescein sodium.

*Anticonvulsants, Cardiac glycosides, Antiarrhythmic antihypertensives & vitamins.

Steroidal Drugs Betamethazone, Cortisone, Hydrocortisone, Prednisolone, Progesterone, Testosterone, Oestradiol Nandrolone.

Anti-Neoplastic Drugs-Actinomycins, Azathioprine, Busulphan, Chlorambucil, Cisplatin cyslophosphamide, Daunorubicin hydrochloride, Fluorouracil, Mercaptopurine, Methotrexate, Mytomycin.

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

1. Introduction to Pharmacology, scope of Pharmacology.
2. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages.
3. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them, Metabolism, distribution and excretion of drugs.
4. General mechanism of drugs action and the factors which modify drug action.
5. Pharmacological classification of drugs. The discussion of drugs should emphasize the following aspect:
 - (i) Drugs acting on the Central Nervous System:
 - (a) General anaestheies, adjunction to anesthesia, intravenous anasessthetics.
 - (b) Analgesic antipyretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs, Narcotic analgesics, Antirheumatic and antigout re- medies, Sedatives and Hypnotics, Psychopharmacological agents, anti convul- sants, analeptics.
 - (c) Centrally acting muscle relaxants and anti- parkinsonism agents.
 - (ii) Local anaesthetics.
 - (iii) Drug acting on autonomic nervous system.
 - (a) Cholinergic drug, Anticholinergic drugs, anti- cholinesterase drugs.
 - (b) Adrenergic drugs and adrenergic receptor blockers.
 - (c) Neurone blockers and ganglion blockers,
 - (d) Neuromuscular blockers, drugs used in myas- thenia gravis.
 - (iv) Drugs acting on eye, mydriatics, drugs used in glaucoma.
 - (v) Drugs acting on respiratory system-Respiratory stimulants, Bronchodilatiors, Nasal decongestants, Expectorants and Antitussive agents
 - (vi) Antacids, Physiological role of ;histamine'and serotonin, Histamine and Antihistamines, Prostaglandins.
 - (vii) Cardio Vascular drugs, Cardiotonics, Antiarrhythmic agents, Antianginal agents. Antihypertensive agents, Peripheral Vasodilators and drugs used in atherosclerosis.
 - (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. Haematinics, Coagulants and anti-coagulants, Haemostatics, Blood substitutes and plasma expanders.
 - (ix) Drugs affecting renal function-Diuretics and antidiuretics.
 - (x) Hormones and hormone antagonists-hypoglycemic agents, Antithyroid drugs, sex hormones and oral contraceptives, corti costeroids.
 - (xi) Drugs acting on digestive system-Carminatives, digestants Bitters, Antacids and drugs used in Peptic ulcer, purgatives, and laxatives, Antidiarrhoeals, Emetics, Anti- emetics, Anti-spasmodics.
- Chemotherapy of microbial disease:Urinary anti- septic, Sulphonamides, Penicillins, Streptomycin, Tetracylines and other antibiotics, Antitubercular agents, Antifungal agents, antiviral drugs, antileprotic drugs.
- Chemotherapy of protozoal diseases. Anthelmintic drugs.
- Chemotherapy of cancer.
- Disinfectants and antiseptics.

A detailed study of the action of drugs on each organ is not necessary.

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE

1. Origin and nature of Pharmaceutical legislation in India, its scope and objectives. Evolution of the "Concept of Pharmacy" as an integral part of the Health Care System.
2. Principles and significance of Professional Ethics. Critical study of the Code of Pharmaceutical Ethics drafted by Pharmacy Council in India.
3. Pharmacy Act, 1948-The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, constitutions of these councils and functions, Registration procedures under the Act.
4. The Drugs and Cosmetics Act, 1940-General study of the Drugs and Cosmetics Act and Rules thereunder. Definitions and salient features related to retail and wholesale distribution of drugs. The powers of Inspectors, The sampling procedures and the procedure and formalities in obtaining licenses under the rule. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the Schedules with special reference of schedules C, C1, F, G, J, H, P and X and salient features

- of labeling and storage condition of drugs.
5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954-General Study of the Act Objectives, special reference to be laid on Advertisements. Magic remedies and objectionable and permitted advertisements - disease which cannot be claimed to be cured.
 6. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985-A brief study of the act with special reference to its objectives, offences and punishment.
 7. Brief introduction to the study of the following acts.
 - i. Latest Drugs (Price Control) Order in force.
 - ii. Poisons Act 1919 (as amended to date)
 - iii. Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (as amended to date)
 - iv. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date)

DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Part-I Commerce

1. Introduction-Trade, Industry and Commerce, functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
2. Forms of Business Organisations.
3. Channels of Distribution.
4. Drug House Management - Selection of Site, Space lay-out and legal requirements.
Importance and objectives of Purchasing, selection of suppliers, credit information, tenders, contracts and price determination and legal requirements thereto.
Codification, handling of drug stores and other hospital supplies.
5. Inventory control-objects and importance, modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time, inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal.
6. Sales Promotion, Market Research, Salesmanship, qualities of a salesman, Advertising and Window Display.
7. Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.
8. Banking and Finance Service and functions of bank. Finance Planning and sources of finance.

Part-II Accountancy

1. Introduction to the accounting concepts and conventions, Double entry Book keeping, Different kinds of accounts.
2. Cash Book.
3. General Ledger and Trial Balance.
4. Profit and Loss Account and Balance Sheet.
5. Simple technique of analyzing financial statements.

Introduction to budgeting.

HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Part-I : Hospital Pharmacy:

1. Hospital Definition, Function, Classifications based on various criteria, organization, Managements and Health delivery system in India.
2. Hospital Pharmacy:
 - (a) Definition
 - (b) Functions and objectives of Hospital Pharmaceutical services.
 - (c) Location, Layout, Flow chart of material and men.
 - (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs.
 - (e) Requirements and abilities required for Hospital pharmacists.
3. Drug Distribution system in Hospitals:
 - (a) Out-patient services
 - (b) In-patient services-(a) types of services (b) detailed discussion of Unit Dose system, Floor ward stock system, Satellite pharmacy services, Central sterile services, Bed Side Pharmacy.
4. Manufacturing:
 - (a) Economical considerations, estimation of demand.
 - (b) Sterile manufacture-large and small volume parenterals, facilities, requirements, layout production planning, man-power requirements.
 - (c) Non-sterile manufacture-Liquid orals; externals-bulk concentrates.
 - (d) Procurement of stores and testing of raw materials.
5. Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.
6. P.T.C. (Pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary System and their organisation, functioning, composition.
7. Drug Information service and Drug Information Bulletin.
8. Surgical dressing like cotton, gauze, bandages and adhesive tapes including their pharmacopocial tests for quality. Other hospital supply e.g. 1. V. sets B.G. sets, Ryals tubes, Catheters. Syringes etc.

9. Application of computer in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Part-II: Clinical Pharmacy:

1. Introduction to Clinical Pharmacy Practice-Definition, scope.
2. Modern dispensing aspects-Pharmacists and Patient counselling and advice for the use of common drugs, medication history.
3. Common daily terminology used in the Practice of Medicine.
4. Disease, manifestation and pathophysiology including salient symptoms to understand the disease like Tuberculosis, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular diseases, Epilepsy, Diabetes, Peptic Ulcer, Hypertension.
5. Physiological parameters with their significance.
6. Drug Interactions:
 - (a) Definition and introduction.
 - (b) Mechanism of Drug Interaction.
 - (c) Drug-drug interaction with reference to analgesics, diuretics, cardiovascular drugs, Gastro intestinal agents, Vitamins and Hypoglycaemic agents.
 - (d) Drug-food interaction.
7. Adverse Drug Reactions:
 - (a) Definition and Significance.
 - (b) Drug-induced diseases and Teratogenicity.
8. Drugs in Clinical Toxicity-Introduction, general treatment of poisoning, systematic antidotes. Treatment of insecticide poisoning, heavy metal poison, Narcotic drugs, Barbiturate, Organophosphorus poisons.
9. Drug dependences, Drug abuse, addictive drugs and their treatment, complications.
10. Bio-availability of drugs, including factors affecting it.

विषय खण्ड-(III)

TECHNICAL ENGLISH :

1. Grammer and Comprehension :
 - a) Subject verb concord
 - b) Tense
 - c) Voice
 - d) Synthesis
 - e) Common errors
 - f) Vocabulary
 - g) Unseen passage to test language skills
 2. Elementary Spoken English (Theary of Phonetics)
 3. Sentance and paragraph writing
 4. Report Writing :
 - a) Classification, Format and writing of reports
 - b) Mechanics of language
 5. Technical Description of things and processes
 6. Precis writing
 7. Spoken English.
-

परिशिष्ट-3 (i)

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ०नी०-१-०६/२०१७ सा०प्र०-१३०६२, पटना दिनांक १२.१०.२०१७ एवं सा.प्र. ७१६२ पटना, दिनांक ३१.०५.२०१८ के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-११/आ०नी०-१-०६/२०१७ सा०प्र० १३०६२ पटना दिनांक १२.१०.२०१७ में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्साकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
 2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए ४ प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
 3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम ४० प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कंडिका-V)
 4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रिय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।
-



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.भा.प.-34(41)/2019-मेड./112862.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को “स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019” कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” के परिशिष्ट “ज” में एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत “विशिष्ट विकलांगताओं” वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश को परिशिष्ट “ज-1” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./45/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018, 21.05.2018 और 05.02.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट-ज-1

आशुनिक चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 4 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)" के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश के अनुसार आंकी जाएगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुछ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिकीय पक्षाधात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी ङ. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य***जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80%विकलांगता: 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामला दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनकी कार्यात्मक सक्षमता, सहायक उपकरणों, यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, की सहायता से, यह देखने के लिए, निर्धारित की जाएगी कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास ऐसी पर्याप्त चालक योग्यता है, जो यह पाठ्यक्रम जारी रखने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	80% से अधिक विकलांगता
		ख. दृष्टि क्षमता (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या	

* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षमति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्गत्स्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए।

**दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षमति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए।

***चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज			
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
ग. श्रवण क्षति@			क. बहरा	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
			ख. कम सुनाई देना		-	इससे अधिक विकलांगता	
<p>(*)40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टिसहायक उपकरण जैसेकि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बैंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बैंचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए।</p> <p>इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।</p>							
	घ.वाक् एवं भाषा विकलांगताएं\$		आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
<p>\$वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (तीन) से अधिक न हो, जोकि 40% या उससे कम हो।</p> <p>वाचाधात वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वाचाधात लब्धि (एक्यू) 40%या उससे कम हो।</p>							
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्टज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगताएं, डिस्लेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एफासिया)#+	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता और 80% के बराबर या इससे कम विकलांगता। परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेज़िस्ट्रेशन		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%-60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ ऐनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता अंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता और/ या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ ऐनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता अंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी डूटीयां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। “मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस” की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाएं जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगेउल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुलऊतकदृढ़न ii. पार्किनसोनिज्म	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफिलिया ii. थैलिसीमिया iii. सिक्कल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक रोग विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असर्वथकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:	$k + \left[\frac{kh}{90} \right]$	

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION

OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2019

No.MCI-34(41)/2019-Med./112862.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Graduate Medical Education Regulation, 1997”, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, (Amendment), 2019”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in Appendix “H” - Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS –shall be substituted with Appendix “H-1”.

DR. R. K. VATS, Secy. General

[Advt.-III/4/Exty./45/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Graduate Medical Education Regulations, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018, 21/05/2018 & 05/02/2019.

Appendix “H - 1”

Guidelines regarding admission of students with “Specified Disabilities” under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS Course.

- Note : 1. The “Certificate of Disability” shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.

2. The extent of “specified disability” in a person shall be assessed in accordance with the “Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)” notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. **The term ‘Persons with Disabilities’ (PwD) is to be used instead of the term ‘Physically Handicapped’ (PH).**

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range					
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PWD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course			
such as telescopes / magnifier etc.									
@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue MBBS Course and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.									
D. Speech & language disability\$		Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability				
\$ Persons with Speech Intelligibility Affected (SIA) shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (three), which is 40% or below.									
Persons with Aphasia shall be eligible to pursue MBBS Courses, provided Aphasia Quotient (AQ) is 40% or below.									
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.					
			b. Autism spectrum disorders	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%. But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel.	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability.			
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or Mild Disability: Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for MBBS course by an expert panel.	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing MBBS course by an expert panel.			
				Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of “fitness to practice medicine”, as are used by several institutions of countries other than India.			

S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PWD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
			iii. Sickle cell disease			
			More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $a + \frac{b(90-a)}{90}$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.</p>		
5.	Multiple disabilities including deaf blindness					

दिव्यांगता जांच एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थानों / केन्द्रों की सूची

S.No.	Name of Medical Colleges / Institutions	Speciality for Disability
1.	PMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
2.	NMCH, Patna	Visual Impairment / Locomotor Disability
3.	IGIMS, Patna	Visual Impairment / Hearing and Speech Disability
4.	DMCH, Darbhanga	Visual Impairment / Locomotor Disability
5.	JLNMC, Bhagalpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
6.	ANMMC, Gaya	Visual Impairment / Locomotor Disability
7.	SKMCH, Muzaffarpur	Visual Impairment / Locomotor Disability
8.	GMCH, BETTIAH	Locomotor Disability
9.	BMIMS, PAWAPURI	Locomotor Disability
10.	JKTMC & H. MADHEPURA	Locomotor Disability

परिशिष्ट-5**CERTIFICATE OF DISABILITY FOR ADMISSION IN MEDICAL / ENGINEERING / PHARMACY COURSES****Certificate No.:****Dated:****Name of the Designated Centre :**

This is to certify that Mr. / Ms.

Aged: years Son / Daughter of Mr.

Residential Address :

Same photo as given in
Online Application
Form duly attested by
the issuing authority

BCECE(LE) 2023 Roll No. : **DQ Rank** has the following
disability (name of the specified disability) in
(percentage) of (in words) , (In figure).

* **Please tick on the “Specified Disability”**

SN.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. other such as amputation, poliomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic / Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia, dyspraxia & Development Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neutological conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinson's disease i. Hemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disability including Deaf Blindness		More than one of the above-specified disabilities

* **Conclusion:** He / She is **Eligible / Not Eligible** for admission in Medical / Engg. / Agriculture Courses as per the Notification(s) subject to his being otherwise medically fit.

Functional competency with the aid of Assistive devices in case of Locomotor* / Visual* / Hearing* Impairment, if any

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

Sign. & Name
(Concerned Specialist)

(Signature of Principal)
Name :
Name of Institution

माडल प्रपत्र
(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पिता
/ पति ग्राम / नगर पोस्ट
..... थाना प्रखण्ड अनुमण्डल.....
..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या **दिनांक**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
.... पुत्र / पुत्री गांव / शहर
.. पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल
.... जिला राज्य समुदाय के सदस्य
हैं, जो कि सर्विधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, सर्विधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, सर्विधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका
परिवार गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना
..... अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर
पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम
पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या **दिनांक**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री
.... पिता / पति / श्री ग्राम / नगर
.... प्रखण्ड पोस्ट थाना
.... अनुमण्डल जिला राज्य
.... समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार
गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस
थाना अनुमण्डल जिला
राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर
पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पिता
/ पति ग्राम / नगर पोस्ट
..... थाना प्रखण्ड अनुमण्डल.....
..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की कुल वार्षिक आय
निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय	-
व्यवसाय से आय	-
कृषि से आय	-
अन्य स्रोतों से आय	-
कुल आय (वार्षिक)	-

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

मॉडल प्रपत्र

Schedule-I

(Form-I)

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSESS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER
SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident fo _____, Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant.

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) – 2023

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश) के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु स्नातक स्तरीय अभियंत्रण / पारा मेडिकल पाठ्यक्रम / फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम :

आवश्यक

1. बी.सी.ई.सी.ई.(एल.ई.)-2023 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

(i) Online Registration Starting Date	:	24.04.2023
(ii) Online Registration Closing Date	:	17.05.2023
(iii) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI and submission of the Online Application Form of Registered Candidate .	:	18.05.2023
(iv) Online Editing of Application Form	:	19.05.2023 to 20.05.2023
(v) Uploading of Online Admit Card	:	यथासमय सूचित किया जायेगा।
(vi) Proposed Date of Examination	:	यथासमय सूचित किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा-शुल्क : देखें इस विवरण पुस्तिका की कॉडिका-7
3. कार्यालय (बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड) दूरभाष संख्या : **0612-2220230** / फैक्स-**0612-2224346**
4. बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड का वेबसाइट : **bceceboard.bihar.gov.in**